2023 | 105

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री नारायणलाल माली पुत्र श्री पंकाराम उपाध्यक्ष नगरपालिका मण्डल जावाल तहसील व जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 15 वर्ष 2023

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
22.06.2023	अपीलांट ने यह प्रथम् अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 20.03.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 01.04.2021 से 15.03.2023 तक कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही को सिरोही जिले में पदस्थापित राज्य प्रशासनिक सेवा/अधिशाषी अभियंता के द्वारा सिरोही जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यालय में पदस्थापित महिला कार्मिकों के प्रति दुर्व्यवहार एवं प्रताडित करने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र की प्रमाणित प्रति एवं इस प्राप्त शिकायती पत्र, ज्ञापनों पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं दिनांक 01.04.2021 से 15.03.2023 तक कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही को राज्य सरकार द्वारा सिरोही जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यालय में पदस्थापित महिला कार्मिकों के उत्पीडन, दुर्व्यवहार एवं मानसिंक वेदना से सम्बन्धित प्राप्त पत्र एवं उनके प्रतिउत्तर में भेजे गए पत्रों की प्रमाणित प्रति एवं पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यालय में पदस्थापित महिला कार्मिकों के उत्पीडन एवं दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में जिला कलक्टर सिरोही द्वारा गठित जांच कमेटियों के आदेशों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 20.03.2023, को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि दिनांक 01.04.2021 से 15.03.2023 तक कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही को सिरोही जिले में पदस्थापित राज्य प्रशासनिक सेवा/अधिशाषी अभियंता के द्वारा सिरोही जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यालय में पदस्थापित महिला कार्मिकों के प्रति दुर्व्यवहार एवं प्रताडित करने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र की प्रमाणित प्रति एवं प्राप्त शिकायती पत्र, ज्ञापनों पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति एवं दिनांक 01.04.2021 से 15.03.2023 तक कार्यालय जिला कलक्टर सिरोही को राज्य सरकार द्वारा सिरोही जिले में पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यालय में पदस्थापित महिला कार्मिकों के उत्पीडन, दुर्व्यवहार एवं मानसिंक वेदना से सम्बन्धित प्राप्त पत्र एवं उनके प्रतिउत्तर में भेजे गए पत्रों की प्रमाणित प्रति एवं पंचायतीराज संस्थाओं के कार्यालय में पदस्थापित महिला कार्मिकों के उत्पीडन एवं दुर्व्य[illegible] सिरोही द्वारा गठित जांच कमेटियों के आदेशों की प्रमाणित प्रति से स[illegible] उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की स्वीकार की [illegible] जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया [illegible] समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावे । यदि सूचना [illegible] नियमों में संभव नही हो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित [illegible] निर्णय सरे इजलास सुना[illegible] गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (डॉ. भँवर लाल) **जिला कलक्टर, सिरोही**	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2024.01.06 15:35:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner